

FORM NO 111

(नियम 133)


अज अदालत, उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़

अनवान :- हरनेक सिंह बनाम अजमेर सिंह आदि


धारा :- 251(ए) आर.टी.ए. मुकदमा नं० **301 / 2017**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय अनिशिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुआ।
-------------	-----------------------------------	---

5-12-17 यह प्रार्थना-पत्र प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा पेश किया। प्रार्थी अभिभाषक की प्रार्थना-पत्र पर एक पक्षीय बहस सुनी गई, वकील प्रार्थी को 151 सी.पी.सी. प्रार्थना-पत्र पर सुना गया प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र पर विश्वास करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है तहसील हनुमानगढ़ के चक न० 21 एच.एम.एच. (ए) तहसील हनुमानगढ़ के प०न० 116/285 किला न० 23, 24, 25 पत्थर लाईन के चिपते चल रहे 1-1 बिस्वा रास्ता की आगामी तारीख पेशी तक यथास्थिती बनाये रखे। इस संबन्ध में कोई एतराज हो तो असालतन या वकालतन हाजीर होकर पेश करे क्योंकि यह आदेश ता फैसला वाद कन्फर्म कर दिया जावे गा अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 6.2.2018 को पेश हो।


सहायक कलेक्टर
एवं उपप्रशासक
हनुमानगढ़

30/1/18 आज यह पत्रावली प्रार्थी हरनेक सिंह के प्रार्थना-पत्र पर पेशी में ली गई। प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि हमारा रजिनामा ही चुका है। आज प्रार्थना-पत्र नहीं चलाना चाहते हैं। अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी द्वारा नहीं चलाने से इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से काम की जाफर बाद तारीख तकमील जाबता डाखिल इफ्तर है। आदेश बखरे इजलाह सुनाया गया।


हरनेक सिंह
30/1/2018